

## जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1	योजना का नाम -	राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना
2	सम्बन्धित विभाग का नाम -	समाज कल्याण विभाग
3	कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम-	जिला समाज कल्याण अधिकारी
4	कार्यालय का पता-	विकास भवन मु0नगर
5	कार्यालय का दूरभाष -	0131-2621275
6	योजना के आरम्भ होने की तिथि -	विगत कई वर्षों से
7	योजना की समाप्ति की तिथि -	-
8	योजना का प्रकार - केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य	केन्द्रीय
9	योजना का संक्षिप्त विवरण -	इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य जीवि को पार्जक की आयु नये शासनादेशानुसार 18 वर्ष से 59 वर्ष है। या 60 वर्ष से कम हो। और ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा रू0 19884/- एवं शहरी क्षेत्र में 25546/- है उन सभी आवेदक को आर्थिक सहायता का अनुदान दिया जाता है।
10	योजना के लिये निर्धारित अर्हता -	इस योजनान्तर्गत रू0 30000/- मात्र की आर्थिक सहायता दी जाती है।
11	योजना किस वर्ग विशेष के लिये है -	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य जाति/सीमामन्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 (समस्त वर्ग हेतु)
12	योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया -	इस योजनान्तर्गत समस्त वर्ग आवेदक अपना आवेदन तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराते है जिन्हे तहसील स्तर पर जाँच हेतु भेजा जाता है। उपजिलाधिकारी की जाँच उपरान्त ही आवेदक को आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाता है।
13	आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान -	सम्बन्धित तहसील या अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय
14	आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क	निःशुल्क
15	आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण	आय, राशन कार्ड, आवेदक व मृतक का फोटो पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक पास बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि
16	यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस -	-
17	योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम -	जिला समाज कल्याण अधिकारी मु0नगर
18	योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल	-
19	विभाग की वेबसाईट का एड्रेस -	-

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
मुजफ्फरनगर।